



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 474 राँची, गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संकल्प

23 सितम्बर, 2022

विषय: झारखण्ड राज्य में कम वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022-23 के फसलों हेतु 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-02/कृ0नि0/बीज/अनु0-38/2022-23-(2669)--भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, राँची से दिनांक-15.08.2022 तक प्राप्त वर्षपात के आंकड़ों के अनुसार झारखण्ड राज्य में वर्षपात 35% से भी कम है तथा standardized precipitation index जो कि <-1 है के आंकड़ों के आधार पर झारखण्ड राज्य के सभी 24 जिलों में वर्षपात की अत्याधिक कमी है। विभागीय पत्रांक-2279 दिनांक- 06.08.2022 द्वारा सुखाड़ की स्थिति के आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिलावार प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के

समीक्षोपरांत राज्य में खरीफ फसलों का आच्छादन 33.3% से भी कम क्षेत्रफल में पाया गया, जिसमें धान का आच्छादन 30% हुआ है। उक्त क्रम में राज्य के कृषकों को आर्थिक सहायता पहुंचाने हेतु अतिरिक्त राजकीय अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण तथा फसल विस्तार योजना अन्तर्गत बीज विनिमय वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजना चालू प्रकृति की योजना है। इसके अन्तर्गत कृषकों को बीज वितरण नीति 2011 के प्रावधानों के आलोक में 50% अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 4000.00 लाख (चालीस करोड़) (बकाया राशि का भुगतान सहित) स्वीकृत है। अतएव राज्य में अल्पवृष्टि के कारण संभावित सुखाड़ के मद्देनजर खरीफ फसलों में बोवाई/रोपनी में हुई कमी को दृष्टिपथ में रखते हुए इस योजना अन्तर्गत अनुदान की राशि 50% को बढ़ाते हुए 90% किया जा रहा है, जिससे रु. 3849.59567 लाख (अड़तीस करोड़ उन्चास लाख उनसठ हजार पाँच सौ सड़सठ रुपये) मात्र का अतिरिक्त व्यय भार होगा। विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-क एवं 'ख' के रूप में संलग्न है।

3. योजनान्तर्गत निम्न वर्णित बजटशीर्ष से राशि निकासी की जाएगी:-

क्र०	बजटशीर्ष
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना, उपशीर्ष-BR-बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, उपयोजनाशीर्ष-01-बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सब्सिडी 01S240100796BR010652
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-102-खाद्यान्न फसलें, उपशीर्ष-BR-बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, उपयोजनाशीर्ष-01-बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, विस्तृतशीर्ष-06 अनुदान, 52 सब्सिडी 01S240100102BR010652
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-BR-बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, उपयोजनाशीर्ष-01-बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सब्सिडी 01S240100789BR010652

4. झारखण्ड राज्य बीज वितरण नीति 2011 की कंडिका-7.1 में निहित निदेश के अनुसार "बीज अनुदान का निर्धारण गत वर्ष की बीज क्रय दर, बीज के वर्तमान बाजार मूल्य तथा खाद्यान्न के वर्तमान बाजार मूल्य (CACP द्वारा घोषित MSP) के आधार पर इस प्रकार किया गया है कि अनुदानित बीज की दर खाद्यान्न की विक्रय दर से अधिक हो"।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में विशेष परिस्थिति में आकस्मिक एवं रबी 2022-23 के लिए कंडिका-7.1 को शिथिल करते हुए कृषकों को खरीफ 2022 में आकस्मिक एवं रबी 2022-23 की फसलों के लिए 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

5. इस हेतु वर्तमान में बजटीय उपबंध नहीं है। इसके लिए राशि की व्यवस्था संबंधित बजटशीर्ष में राज्य योजना से समतुल्य अव्यवहृत राशि का पुनर्विनियोग करते हुए अनुपूर्व झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि से कराया जायेगा।
6. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-14.09.2022 में मद सं0-01 के रूप में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,

सरकार के सचिव ।

अनुलग्नक-क'

आकस्मिक/रबी 2022-23 के दौरान सम्भावित बीज वितरण पर होने वाले अनुमानित व्यय से संबंधित

प्रतिवेदन

(मात्रा- किंव. में/राशि रु. में)

फसल का नाम	सम्भावित बीज वितरण की मात्रा	बीज का क्रय दर	वर्तमान अनुदान की राशि (50%)	प्रस्तावित अनुदान की राशि (90%)	राशि की आवश्यकता (50%)	राशि की आवश्यकता (90%)	अतिरिक्त राशि की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7	8
गेहूँ	83300.00	3315.00	1657.50	2983.50	138069750.00	248525550.00	110455800.00
चना	19610.00	9670.00	4835.00	8703.00	94814350.00	170665830.00	75851480.00
मूँग	1230.00	11550.00	5775.00	10395.00	7103250.00	12785850.00	5682600.00
अरहर	2000.00	14000.00	7000.00	12600.00	14000000.00	25200000.00	11200000.00
उरद	4000.00	12800.00	6400.00	11520.00	25600000.00	46080000.00	20480000.00
कुल्थी	300.00	1500.00	750.00	1350.00	225000.00	405000.00	180000.00
मटर	1055.00	17500.00	8750.00	15750.00	9231250.00	16616250.00	7385000.00
सरसों	7000.00	10900.00	5450.00	9810.00	38150000.00	68670000.00	30520000.00
तिसी	545.00	12600.00	6300.00	11340.00	3433500.00	6180300.00	2746800.00
तिल	500.00	17500.00	8750.00	15750.00	4375000.00	7875000.00	3500000.00
मक्का	3000.00	22600.00	11300.00	20340.00	33900000.00	61020000.00	27120000.00
सूर्यमुखी	5.00	6000.00	3000.00	5400.00	15000.00	27000.00	12000.00
	122545.00				368917100.00	664050780.00	295133680.00

ह0/-

सरकार के सचिव

अनुलग्नक-ख

खरीफ 2022 के दौरान संस्थावार आपूरित बीज के आलोक में राशि की आवश्यकता से

संबंधित प्रतिवेदन

(मात्रा- क्विं.में /राशि रु. में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	फसल का नाम	आपूरित बीज की मात्रा	बीज का क्रय दर	अनुदान की राशि (50%)	राशि की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7
1	NSC / NCCF	धान(Gen.)	27091.00	3870.00	1935.00	52421085.00
		धान(Hyb.)	6289.50	20000	10000.00	62895000.00
2	SEEDFARM	धान	787.22	3483	1741.50	1370943.63
3	JSADCL	धान	228.00	3483	1741.50	397062.00
4	JTDS	धान	46.00	3483	1741.50	80109.00
5	KVK/ ZRS	धान	259.30	3483	1741.50	451570.95
6	JSLPS	धान	132.70	3483	1741.50	231097.05
			34833.72			117846867.63
7	NSC / NCCF	अरहर	196.90	14000.00	7000.00	1378300.00
		उरद	95.60	12800.00	6400.00	611840.00
8	SEEDFARM	अरहर	3.28	12600.00	6300.00	20664.00
		उरद	2.08	11520.00	5760.00	11980.80
		मूँग	0.30	10395.00	5197.50	1559.25
			298.16			2024344.05
9	NSC / NCCF	मक्का	79.00	22600.00	11300.00	892700.00
		रागी	30.50	9500.00	4750.00	144875.00
			109.50			1037575.00
	Total		35241.38			120908786.68

ह0/-

सरकार के सचिव
